कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 4615/2021 सरोज खरे बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अंतरिम स्थगनादेश दिनांक 21.10.2021 की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.07.2022 द्वारा श्रीमती सरोज खरे, प्रधानाचार्य को माननीय अधिकरण के आगामी/अंतिम आदेश के अध्यधीन राउमावि रोयल (219180) जिला सीकर में यथावत एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री पूरन कुमार का समायोजन/पदस्थापन राउमावि जोचीना (219620), जायल जिला नागौर में किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री पूरन कुमार का समायोजन/पदस्थापन राउमावि बहादुरपुरा (219192), खण्डेला जिला सीकर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। श्री पूरन कुमार को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन समायोजन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सरोज/4615/2021/8 दिनांकः 21.07.22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
6. संबधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित प्रधानाध्यापक की आदेशों की प्रतीक्षा के रूप में कार्यग्रहण की सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
12. सम्बन्धित प्रधानाध्याक, राउमावि बहादुरपुरा, खण्डेला जिला सीकर को आदेशों की प्रतीक्षा में कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिती सम्बन्धित सीबीईओ कार्यालय में देवें।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)